निग0-3622/2018/सिंगरौली/भू-रा (29)

(155)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर (रीवा सर्किट कोर्ट रीवा)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEE

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

1— हंसलाल पिता रामदास वैस

2— महत्मा प्रसाद पिता रामदास वैस

दोनो निवासी ग्राम गोदवाली तह0 देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0

——आवेदकगण

अधि0श्री अंजनी सोनी द्वारा पेश / 12.6.18

बनाम्

म0प्र0 शासन

——अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 76/निगरानी/97—98 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2017

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959

मान्यवर

प्रकरण के तथ्य

यह कि आवेदकगण के पूर्वजों के भूमिस्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम गोदवाली, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली की भूमियों के संबंध में वर्ष 1974—75 में सीलिंग प्रकरण कमांक 591/ब/90(4)/74—75 कलेक्टर सीधी के यहाँ चला था, जिसमें कलेक्टर महोदय ने दिनांक 22.03.1976 को आवेदकगण की 30.00ए. भूमि को अतिशेष घोषित कर शासन के पक्ष में वेष्ठित किये जाने का आदेश पारित किया जिस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा

(29)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग. 3622/2018/भू.रा. जिला– सिंगरौली

हंसलाल विरूद्ध म०प्र० शासन

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री अनिल कुमार सेन अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 46/निग./97-98 में पारित आदेश दिनांक 28-12-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 12-06-2018 प्रस्तुत की गयी है। 2. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये। 3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। सदस्य	